न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
33/2012/प्रा.पत्र/2012	20.09.2012	23.12.2021

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

...... प्रार्थी

बनाम

1–श्री चर्तुर दास पुत्र श्री चिमन दास निवासी सीता वाटीका कंकाली मन्दिर के पास टोंक जिला टोंक प्रोपरायटर मैसर्स न्यू जोधपुर स्वीट कार्नर दरबार स्कूल के सामने सुभाष बाजार टोंक

2– मैसर्स न्यू जोधपुर स्वीट कार्नर दरबार स्कूल के सामने सुभाष बाजार टोंक

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2–श्री कैलाश अहूलवालिया,अभिभाषक अप्रार्थीगण उपस्थित

:–निर्णय–: दिनांक 23.12.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.10.2011 को समय 3.30 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स न्यू जोधपुर स्वीट कार्नर दरबार स्कूल के सामने सुभाष बाजार टोंक पर पहुंचां। प्रोपरायटर की हैसियत से श्री चर्तुर दास पुत्र श्री चिमन दास निवासी सीता वाटीका कंकाली मन्दिर के पास टोंक जिला टोंक प्रोपरायटर मैसर्स न्यू जोधपुर स्वीट कार्नर दरबार स्कूल के सामने सुभाष बाजार टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण क[illegible] को विक्रय हेतु दुकान मे **मिल्क केक** रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मि[illegible] शंका होने पर, विक्रेता श्री चर्तुर दास को गवाह के सामने फार्म न[illegible] करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्र[illegible] हस्ताक्षर कर[illegible]र्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.03.16 14:53:55 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

आवेदक द्वारा दुकान मे वातानुकुलित कावन्टर मे स्टील की ट्रै मे लगभग 20 किलो **मिल्क केक** रखे हुये मे से दो किलोग्राम मशीन से तुलवाकर का चयन कर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता. श्री चर्तुर दास को रू0 280/—अक्षरे दौ सौ अस्सी रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **मिल्क केक** 2 किलोग्राम को हिलाकर एकरूप कर चार खाली साफ एंव सूखी कांच की बोतल मे बराबर—बराबर डालकर प्रत्येक बोतल मे 40 प्रतिशत फॉरमेलीन कि 40—40 बून्दे डालकर बोतलो के ढक्कन लगाकर एयरटाईट बंद कर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं कमांक I—120 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग—अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I—120 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. चर्तुर दास के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाध सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./2011/4157 दिनांक 01.12.2011 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाध सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/117/एक्ट/2011/119 दिनांक 16.11.2011 एवं रेफरल फूड लेबोरेट्री गाजियाबाद की अंतिम जांच रिपोर्ट दिनांक 11.07.2012 अनुसार चर्तुर दास से वास्ते नमूना जांच विकय किया गया **मिल्क केक** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का **मिल्क केक** का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की [illegible] में निर्धारित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.03.16 14:53:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत न कर बहस हेतु निवेदन किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **मिल्क केक** का विकय कर रहा था वह जांच में **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **मिल्क केक** का नमूना जांच में **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री चर्तुर दास पुत्र श्री चिमन दास निवासी सीता वाटीका कंकाली मन्दिर के पास टोंक जिला टोंक प्रोपरायटर मैसर्स न्यू जोधपुर स्वीट कार्नर दरबार स्कूल के सामने सुभाष बाजार टोंक पर शास्ति 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार रू0) आरोपित की जाती हैअभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 23.12.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

23.12.21

(मुरारी लाल शर्मा)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

टोंक–राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.03.16 14:53:55 IST
Reason: SelfAttested